मध्यप्रदेश शासन
वित्त विभाग
वल्लभ भवन-मंत्रालय-भोपाल

क्रमांक : एफ 8-2/2013/नियम/चार भोपाल, दिनांक 15 मई, 2013

प्रति,

शासन के समस्त विभाग,
अध्यक्ष, राजस्व मंडल, ग्वालियर,
समस्त संभागीय आयुक्त,
समस्त विभागाध्यक्ष,
समस्त जिलाध्यक्ष,
मध्यप्रदेश ।

विषय- पांचवे एवं छठवें वेतनमान में वेतन निर्धारण में अधिक वेतन निर्धारण की वसूली के संबंध में मान. उच्चतम न्यायालय द्वारा दिया गया निर्णय ।

—•—

मान. उच्चतम न्यायालय में सिविल अपील नम्बर 5899/2012-एल.एल.पी.(सी) नम्बर 30858/2011 में चांडी प्रसाद उनियाल विरूद्ध उत्तराखण्ड सरकार में शिक्षकों/प्राचार्यों द्वारा पांचवे एवं छठवें वेतनमान में वेतन निर्धारण के फलस्वरूप अधिक भुगतान की वसूली न करने के संबंध में वादियों द्वारा वाद मान. उच्च न्यायालय में लगाया गया ।

2/ मान. उच्च न्यायालय द्वारा सम्बधित प्रकरण को निरस्त करने के उपरान्त वादियों द्वारा मान. उच्चतम न्यायालय में प्रकरण दायर किया गया । मान. उच्चतम न्यायालय द्वारा दिनांक 17-8-2012 को निर्णय दिया कि अधिक भुगतान की वसूली वादियों के वेतन से 12 समान किश्तों में की जाये। मान. उच्चतम न्यायालय द्वारा अपने निर्णय में व्याख्या करते हुये निर्देश दिये गये कि केवल राशि के अपहरण अथवा धोखाधडी के मामलों में ही नहीं अपितु ऐसे मामलों में भी वसूली होना चाहिये जहाँ त्रुटिवश राज्य की समेकित निधि से राशि का अधिक भुगतान हो गया है । मान. न्यायालय का तर्क था कि राशि का भुगतान लोक धन से किया गया है एवं लोकधन करदाताओं की राशि है, जो न तो अधिक भुगतान करने वाले अधिकारियों की है ओर न ही अधिक भुगतान प्राप्त करने वाले अधिकारियों/कर्मचारियों की है ।

3/ अतः प्रकरण में मान. उच्चतम न्यायालय द्वारा दिये गये निर्णय के तारतम्य में यदि अधिनस्थ कर्मचारियों के वेतन निर्धारण में अधिक भुगतान की स्थिति बनती है तो संबंधितों से तत्संबंधी वसूली की जाये । यदि इस संबंध में कर्मचारियों द्वारा किसी प्रकार की वैधानिक कार्यवाही न्यायालय में की जा रही हो तो जबाबदावे में /मान. न्यायालय में वादोत्तर प्रस्तुत करते समय इस निर्णय का समावेश भी किया जावे । माननीय उच्चतम न्यायालय का निर्णय वेबसाइट www. Supreme court of India.nic.in पर अधिक सूचना हेतु उपलब्ध है । कृपया इसकी जानकारी सभी अधीनस्थ कार्यालयों को भी भेजी जाए ।

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से
तथा आदेशानुसार

(मनीष रस्तोगी)
सचिव
मध्य प्रदेश शासन, वित्त विभाग